प्रेषक

महानिदेशक कृषि, हरियाणा,
सैक्टर–21, पंचकूला ।

सेवा में

उप कृषि निदेशक,
फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, रोहतक, अम्बाला, कैथल, पलवल,
मेवात व गुड़गांव

यादी कमांक 2341-50/एस0एस0–।।
दिनांक, पंचकूला 18/5/15

विषय :– **विभागीय बीज फार्मों को ठेके पर उठाने बारे ।**

उपरोक्त विषय पर मुझे यह लिखने के आदेश हुये हैं कि कृषि विभाग के फार्म वर्ष 2015–16 के लिये (केवल एक वर्ष के लिये) निम्न शर्तों अनुसार दिनांक 27/05/2015 को सुबह 11.00 बजे पूर्व गठित कमेटी की अध्यक्षता में खुली बोली द्वारा ठेके पर दे दिए जाएं :–

1– फार्म की भूमि एक वर्ष के लिये उच्चतम बोली देने वाले को दी जायेगी । बोली की राशि पिछले वर्ष की राशि से अधिक होनी चाहिये तथा पूर्ण राशि बोली समाप्त होने पर नकद/बैंक ड्राफट के रुप में दी जायेगी।

2– रबी की फसल काटने के तुरन्त पश्चात् फार्म तुरन्त खाली करना होगा ।

3– फार्म से पेड़ इत्यादि काटे नहीं जायेंगे बल्कि उनकी रखवाली करनी होगी ।

4– फार्म की ईमारतों की देखभाल की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी और उनकी अच्छी हालत में सम्भाल करनी होगी तथा वर्ष के अन्त में सही हालत में विभाग को लौटाना होगा तथा फार्म की ईमारतों मे किसी प्रकार की बदली नहीं की जायेगी।

5– यदि किसी सरकारी माल का नुकसान बाढ़ आदि के कारण से होगा तो यह नुकसान पूरा करके देना होगा।

6– फार्म से मिटटी नहीं उठाई जायेगी ।

7– फार्म पर फसल बोने के लिए ठेकदार को हरियाणा बीज विकास निगम कांट्रेक्ट ग्रोअर के रुप में प्रोग्राम अपनाना होगा जैसाकि पहले से चल रहा था ।

8– फार्म की किसी प्रकार की हानि की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी तथा इस बारे में यदि कोई झगड़ा होगा तो कृषि निदेशक महोदय का फैंसला अन्तिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा ।

9– फार्म पर कोई परमानैंट स्ट्रैक्चरस नहीं बनाई जायेगी ।

10– फार्म के टयूबवैलों आदि की मुरम्मत तथा बिजली आदि का खर्चा ठेकेदार को करना होगा।

11– फार्म को ठेके पर देने के लिए निर्धारित पटटानामा भरवाना होगा ।

12– फार्म नहरी होने की सूरत में आबयाना तथा सैंस आदि का भुगतान ठेकेदार द्वारा विभाग को करना होगा ।

13– ठेकेदार कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के निरीक्षण में कोई बाधा नहीं ड़ालेगा । ठेके पर दिये जाने वाले फार्मों का विवरण ठेके पर उठाये जाने वाले फार्मों का व्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क0सं0.	फार्म का नाम	जिला	बोली पर दिया जाने वाला एरिया एकड कनाल मरला	आपका संदर्भित पत्र जिस द्वारा बोली पर दिया जाने वाला एरिया दर्शाया गया है
1	कोहलावास	भिवानी	22 – 04 – 00	क0 854/त0स0 दि0 16/4/2015
2	नयाबांस	रोहतक	15 – 01 – 14	–
3	सरुरपुर	फरीदाबाद	24 – 07 – 19	–
4	महेंद्रगढ़	महेंद्रगढ़	06 – 00 – 00	ई–मेल द्वारा प्राप्त
5	नावां	महेंद्रगढ़	25 – 07 – 02	–सम–
6	अम्बाला	अम्बाला	07 – 04 – 00	–
7	संतोखमाजरा	कैथल	06 – 03 – 15	–
8	फिरोजपुरझिरका	मेवात	11 – 04 – 09	क0 814 दि015/4/2015
9	सिवाड़ी	गुड़गांव	19 – 04 – 16	ई–मेल द्वारा प्राप्त
10	सेवली	पलवल	02 – 00 – 00	–
11	रामपुरा	रिवाड़ी	05 – 06 – 12	–

उपरोक्त सभी फार्मों को एक वर्ष के लिए पटटे पर देने उपरान्त पूर्ण सूचना निदेशालय को तुरन्त भेजें ।

सहायक विपणन अधिकारी
कृते : महानिदेशक कृषि, हरियाणा ।

विशेष ध्यान:

1– बोली पर दिये जाने से पहले एरिया के रकबा नम्बर व किला नम्बर का भलीभांति निरीक्षण कर लिया जाये।

2– आप अपने जिले के पटटे पर दिये गये सभी फार्मों बारे सुनिश्चित करें कि इन फार्मों की गिरदावरी विभाग के नाम ही हो ।

3– फार्म की नीलामी की कमेटी में उप कृषि निदेशक, उप मण्डल कृषि अधिकारी या उसका प्रतिनिधि तथा एक अन्य राजपत्रित अधिकारी सम्मिलत किया जाये।